नंबर व अहकाम हुक्म की जारी हुए

[illegible]/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. ।
बहस हेतु
पत्रावली दिनांक 26/11/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अराई

[illegible]

26/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. ।
[illegible] हेतु
पत्रावली दिनांक 21/1/26 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अराई

21/1/26 पत्रावली पेश हुई आज बार संघ
की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/2/26 को
पेश हो।

5/2/26. पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 59/2024

1. गोपाल पुत्र सोन्या, जाति रेगर, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. धांधू पुत्र लादू जाति रेगर, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. भागचन्द पुत्र उंकार, जाति रेगर, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. महावीर पुत्र मोहन, जाति रेगर, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. रतन पुत्र माधू, जाति रेगर, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. श्योजी पुत्र माधू, जाति रेगर, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. रामनिवास दत्तक पुत्र लक्ष्मण, जाति रेगर, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. श्रीमती बदाम पुत्री माधु (माता स्व. श्रीमती गोपी) जाति रेगर, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. श्रीमती लाली पुत्री माधु (माता स्व. श्रीमती गोपी) जाति रेगर, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय, अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

आदेश

वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : वकील वादी श्री योगेश शर्मा

दिनांक 4/2/26

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने उपस्थित होकर एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राज.का.अधि.1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी कृषि खसरा संख्या 282 क्षेत्रफल 2.0710 हैक्टेयर (किस्म बंजर–2) वाके ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 2/5 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 4 का 1/5 हिरसा अर्न्तनिहित है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ग्राम ढसूक स्थित खसरा संख्या 281 क्षेत्रफल 2.9529 हैक्टेयर भूमि पर बतौर खातेदार काबिज है, एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार रिकार्डेड खातेदार है उक्त खसरा संख्या 281 की भूमि जो वादीगण की भूमि खसरा संख्या 282 के उत्तर दिशा में स्थित है। वादीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु श्रीमान के समक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 70/2023 उनवान गोपाल बनाम छगनलाल वगै प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 21.06.2024 को निर्णय पारित होने के पश्चात पत्थरगढी के समय वादीगण को जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने खसरा संख्या 281 की आड में वादीगण के खसरा संख्या 282 की भूमि में उत्तर दिशा की नजरी नक्शे में अंकित ए, बी, सी, डी स्थान मध्य कब्जा कर रखा है और उस पर दो कमरे पट्टीपोश पक्के निर्माण करवाकर एवं बरामदे पर चद्दर डलवाकर निर्माण कार्य कर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बिना प्राधिकारी की अनुमति के बिना भूमि का सम्परिवर्तन कराये उसका किसी अन्य कार्य के लिये उपयोग उपभोग करना अवैध है तथा दण्डनीय है। जबकि प्रतिवादीगण ने बिना अनुमति के अवैध रूप से खातेदारी भूमि पर अतिक्रमी होकर पक्का निर्माण कर लिया, जो गलत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में स्पष्ट उल्लेख है कि "किसी ऐसे कार्य वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है, जिससे भंग करने पर वह विशेष संविदा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकुल नहीं है, के अनुसार बेदखली का दायी है।प्रतिवादीगणों से वादीगण की मालिकाना, हक कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 282 में ए, बी, सी, डी स्थान पर स्थित भूमि पर से प्रतिवादीगणों का नाजायज कब्जा हटवाया जाकर वादीगण को उनकी भूमि पुनः प्रतिवादीगणों से प्रदान करवायी जायें।प्रतिवादीगणों को इस स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द फरमाया जावें कि वे खसरा संख्या 282 में किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य न करें, एवं वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा कारित न करें।वादीगण प्रतिवादीगणो से अपनी स्वामित्वाधीन कृषि आराजी पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है।वादीगण प्रतिवादीगणो से दावा प्रस्तुति करने की दिनांक से कब्जा प्राप्ति तक वार्षिक लगान की पन्द्रह गुना तक शास्ति भी वसूल करने का अधिकारी है।वादकारण सर्वप्रथम श्रीमान न्यायालय के आदेश दिनांक 21.06. 2024 पश्चात् पत्थरगढी के दौरान वादीगण को जानकारी होने से उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगणों को अवैध अतिक्रमण कर नाजायज कब्जे व निर्माण को हटाकर अपनी रिक्त भूमि पुनः प्राप्त करने हेतु निवेदन किया, जिसे प्रतिवादीगणों ने अनसुना कर दिया तथा प्रतिवादीगणों का वादीगण की भूमि पर अवैध अतिक्रमण व निर्माण मौजुद रहने से वाद कारण सतत है।वाद वास्ते अवैध अतिक्रमण से बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु काश्तकारी अधिनियम में मयाद का प्रावधान नहीं होने से नियमानुसार वाद प्रस्तुत है।प्रतिवादीगणो को वादीगण के मालिकाना हक, कब्जे काश्त की ग्राम ढसूक स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 282 में नजरी नक्शे में वर्णित "ए, बी, सी, डी" के मध्य स्थित भूमि पर प्रतिवादीगणों द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को उसके खर्चे पर तुडवाया जाकर वादीगण को उनकी रिक्त भूमि पुनः प्रदान करवायी जावें। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की पैरा संख्या 2 में वर्णित

WD

खसरा संख्या 3641/1971 के पूर्वी भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की कृषि भूमि पर अतिचार करके बिना विधिपूर्ण अधिकार के बनाए गए मकानात, बाड़ों से अतिचारी के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही करके हटवाए जाने, बेदखल करने के आदेशात्मक आदेश की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित करने हेतु निवेदन किया है ।

वादी का वाद दिनांक 01.10.2024 को वाद को रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी करवाई गयी जवाब हेतु बार बार अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही किया गया तथा दिनांक 7.3.2025 को प्रतिवादी संख्या 3 उपस्थित न्यायालय होकर जवाब के लिए समय चाहा गया जिसके उपरांत भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई उपस्थित नही तथा प्रतिवादीगण के उक्त उदासीनता दावे के प्रति होने के कारण तामिल बाद बार बार अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 8.8.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । दिनांक 4.2.2026 को वकील वादी की एकपक्षियी बहस सुनी गई । जवाब पेरोकार सरकार प्राप्त हुआ । जबाव पेरोकार सरकार का अवलोकन किया गया । पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार ग्राम ढसूक की चालू सेग्रीगेशन जमाबन्दी खाता से 554 नया 241 पुराना ख.सं. 282 रकबा 20710 है. किरम बंजर 2 में प्रार्थी गोपाल पुत्र सोन्या, पांचू पुत्र लादू, भागचन्द पुत्र ऊंकार एवं महावीर पुत्र मोहन सर्वजाति रेगर सा. देह खातेदार दर्ज है। (जमाबन्दी की प्रति संलग्न हैं) ग्राम ढसूक की चालू सेग्रीगेशन जमाबन्दी खाता सं. नया 7: पुराना 72 खसं. 281 रकबा 2.9929 किस्म बंजर 1 (1.1569 है.) बारानी 2 (1. 7960 है) में गोपी पत्नी माधू हि. 1/4 जाति रेगर, रतन पुत्र माधू हि. 1/4 जाति रेगर, रामनिवास दत्तक पुत्र लक्ष्मण हि. 1/4 जाति रेगर, श्योजी पुत्र माधू हि. 1/4 जाति रेगर सा. देह खातेदार दर्ज है। (जमाबन्दी की प्रति संलग्न है) उक्त खातेदारान में से गोपी पत्नी माधू की मृत्यु हो जाने से बदाम, काली पुत्रियां माधू जाति रेगर संलग्न बाद पत्र में शेष खातेदारान के साथ ही बतौर प्रतिवादी दर्ज है। ख.सं. 281 प्रार्थीगण की भूमि ख.सं. 282 के लगायत ही उत्तर दिशा में स्थित है। (प्रमाणित नक्शे की प्रति संलग्न हैं) श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अरांई के वाद सं. 70/2023 उनवान गोपाल बनाम छगनलाल में निर्णय दिनांक 21.06.2024 एवं तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक 125 दिनांक 28.06.2024 की पालना में दिनांक 02.07.2024 को राजस्व टीम द्वारा ख.सं. 282 का सीमांकन एवं पत्थरगढी करवायी गई, जिसके आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रासंगिक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्थरगढ़ी के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं0 281 के सीमाज्ञान हेतु तहसील कार्यालय अराई में आवेदन किया गया, जिस पर तहसील कार्यालय अराई के ऑनलाइन आदेश क्रमांक 2025/21824/6 दिनांक 16.05.2025 के आदेश पत्रांक 3232 दिनांक 9.6.2025 की पालना में दिनांक 12.062025 की ख स.201 जो कि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है, का सीमाज्ञान करवाया गया। इस सीमा ज्ञान कार्यवाही में तथा दिनाक 02.07.2024 को की गई पत्थरगढ़ी की कार्यवाही में ख.स. 282 व 281 की संयुक्त मेहरा की वास्तविक स्थिति को लेकर वर्तमान में ख. स. 281 व 282 के पक्षकारों के मध्य विवाद है। दिनांक 12.06.2025 को किये गये सीमाज्ञान के पश्चात ख.सं. 281 के खातेदारों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी हेतु माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अराई के समक्ष बाद सं. 114/2025 उनवान रतन बनाम गोपाल वगैरह विचाराधीन है। ख.सं. 281 व 282 के लगायत ही ख.सं. 287 स्थित है, जो कि ग्राम ढसूक की चालू सेग्रीगेशन जमावन्दी में खाता से 326 में रामकिशन पुत्र रतनलाल, रामावतार पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण सा देह खातेदार के नाम दर्ज है। (जमाबन्दी की प्रति संलग्न है) उक्त ख.सं 287 की पत्थरगढ़ी श्रीमान के आदेश की पालना में दिनांक 02.06.2020 को राजस्व टीम द्वारा की गई। उक्त पत्थरगढ़ी के पश्चात भी ख.सं. 281, 282 संयुक्त सीमाओं में आपसी विवाद की स्थित्ति है। ख.सं 267 के पक्षकारों द्वारा भू प्रवन्ध विभाग से अपनी खातेदारी भूमि की पुन सीमाज्ञान/पत्थरगढी करवाये जाने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के समक्ष दिनाक 09.06.2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के पत्र क्रमांक/भूअ/रेकॉर्ड/सीमा 25 दिनांक 12.06.2025 की पालना में ख.सं. 287 जो कि खसरा नं0 281 व 282 के लगायत है, के पुन सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी हेतु रिपोर्ट व चैकलिस्ट श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर को प्रेषित की हुई है। पेरोकार सरकार के जवाब से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर रखा है । अतः तहसीलदार अराई को यह आदेशित किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी ग्राम ढसूक के खसरा नं0 282 में नजरी नक्शे में वर्णित एस0बी0सी0डी0 के मध्य स्थित भूमि पर प्रतिवादीगणो द्वारा किये गये निर्मित आवासीय परिसर पर अवेध अतिक्रमण को आवश्यक संसाधन प्राप्त कर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता प्राप्त कर वाद अधीन भूमि का अतिक्रमण हटवाकर उक्त कृषि भूमि का कब्जा वादीगण को सम्भलवाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये । संसाधन का खर्चा वादी स्वयं उठायेगा । तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो। निर्णय की पालना मियाद अवधि गुजर जाने के बाद की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 4/2/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई